न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

प्रा.पत्र संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/74/2022	2022/103	11.04.2022	06.02.2023

–उनवान–

1. हंसराज पुत्र सीताराम जाति अहीर निवासी ग्राम सीथल तहसील तिजारा जिला अलवर राज0।

–प्रार्थी

बनाम

1. भीम सिंह
2. देशराज
3. सुरेन्द्र कुमार
4. लाल सिंह
5. चन्द्रहास पुत्रान शीशराम
6. कला देवी पत्नी शीशराम जाति अहीर निवासी ग्राम सीथल तहसील तिजारा जिला अलवर राज0।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–

01. श्री अनिल गुप्ता –वकील प्रार्थी
02. श्री दिनेश यादव –वकील अप्रार्थीगण

––:: निर्णय ::––

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी तिजारा के न्यायालय में विचाराधीन वाद उनवान भीमसिंह वगै0 बनाम ताराचन्द वगै0 को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया।

विद्वान वकील प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मुंतकिल के सूक्ष्म तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 12.03.2020 की तारीख पेशी नियत की गयी। जिस दिन कुर्रेजात के ऐतराज पर बहस सुनी गयी थी। जिसके बाद आगामी तारीख दिनांक 20.03.2020 नियत की गयी। लेकिन आगामी पेशी दिनांक 20.03.2020 को पत्रावली पर तारीख नोट नहीं की गयी और प्रकरण में लगभग डेढ साल बाद तारीख पेशी दिनांक 08.09.2021 नियत कर दी गयी। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 21.10.2019 को प्राथमिक डिक्री पारित कर कुर्रेजात रिपोर्ट चाही गयी। कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार तिजारा को मौके पर उप0 होकर अप्रार्थी के द्वारा निवेदन किया गया कि आराजी खसरा नम्बर 26 में मकानात बना रखे है एवं खसरा नम्बर 22 से रास्ता आता है। रास्ता व मकान दिखा दिया जावें लेकिन तहसीलदार द्वारा केवल अप्रार्थीगण को तितम्बा काटकर कुर्रेजात रिपोर्ट पेश की गयी। पीठासीन अधिकारी अप्रार्थीगण से साजबाज होकर अंतिम डिक्री उनके पक्ष में करना चाहते है तथा खुलेआम प्रार्थी को धमकी देते है कि हमारी पीठासीन अधिकारी से बातचीत हो चुकी है। अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र मुंतकिल स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन पत्रावली को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल फरमाया जावें।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस के दौरान निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा पेश मुंतकिल प्रा0पत्र में अंकित तथ्य बेबुनियाद, झूठे एवं मनगढंत है। अप्रार्थीगण की पीठासीन अधिकारी से कोई बातचीत नहीं हुई है। पीठासीन अधिकारी द्वारा नियमों के तहत विधिवत् सुनवाई की जा रही है। अतः प्रार्थीगण का मुन्तकिल प्रा0पत्र खारिज फरमाया जावें।

जिला कलक्टर, अलवर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया कि मुकदमें में किसी पक्षकार विशेष से किसी प्रकार का लगाव नहीं है तथा इतना स्वीकार है कि प्रकरण को प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी द्वारा पेश समस्त दस्तावेजात् का अवलोकन व मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र मुंतकिल के संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति का शपथ–पत्र पेश नहीं किया है। प्रार्थना पत्र मुंतकिल करने के संबंध में प्रार्थी द्वारा कोई ठोस साक्ष्य/सबूत भी पेश नहीं किये गये है। प्रार्थना–पत्र मुंतकिल खारिज योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मुन्तकिल खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा प्रकरण में नियमानुसार सुनवाई कर प्रकरण का विधिवत निस्तारण करें। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2023 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर, अलवर
(राजस्थान)